न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर,झुन्झुनू

पीठासीन अधिकारी :– जगदीश प्रसाद गौड़
आर.ए.एस.

अपील संख्या :– 70/2022

राजकुमार पुत्र धर्मपाल, जाति जाट, निवासी पापड़ा खुर्द, तहसील उदयपुरवाटी, जिला झुंझुनू।
–अपीलांट

–बनाम–

1. तहसीलदार उदयपुरवाटी, तहसील उदयपरवाटी, जिला झुंझुनू ।
2. करण सिंह पुत्र उम्मेदसिंह जाति जाट निवासी पापड़ा कलां, तहसील उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू।

–रेस्पोडेंट

अपील खिलाफ निर्णय न्यायालय तहसीलदार उदयपुरवाटी
उनवानी सरकार बनाम राजकुमार, अं0 धारा 91 एल0आर0एक्ट 1956
मु0न0 52/2022 निर्णय दिनांक 18.07.2022

उपस्थितिः–

1 .श्री मदन सिंह गिल, एडवोकेट –––––––––––––अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री श्रवण कुमार सैनी, राजकीय अभिभाषक –––––रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से।
3. श्री राहुल स्वामी, एडवोकेट –––––––––––––– रेस्पोडेन्ट संख्या 2 की ओर से।

–निर्णय– दिनांक 31.03.2023

उक्त अपील विरूद्ध निर्णय दिनांक 18.07.2022 उनवानी प्रकरण सरकार बनाम राजकुमार, मु0 नं0 52/2022 अ. धारा 91 एल. आर. एक्ट 1956 न्यायालय तहसीलदार उदयपुरवाटी के विरूद्ध पेश की गई। संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार अंकित किये गये हैं कि – खसरा नंबर 218 ग्राम पापड़ा तहसील उदयपुरवाटी सड़क से गर्ल्स स्कूल के सामने पूर्वी दिशा में बजरंग स्टोन क्रेसर की तरफ जाता है, जिसमें करीब 40 लोगों के घर है, बीच में पी. डब्ल्यू.डी. की सीमेन्टेड सड़क है। सभी लोगों के घर सड़क से समान दूरी पर खाली जगह जिनमें बड़े ट्रक आमने–सामने गुजरते हैं। करणसिंह व्यक्तिगत द्वेशता रखता है उसने राजनीतिक विरोधियों की चुन–चुन कर शिकायत की, तहसील में अपनी ओर से वकील नियुक्त किया। पी.डब्ल्यु.डी. की रोड बाउण्ड्री चिन्हित है। अपीलार्थी ने सड़क सीमाओं में कोई भी अतिक्रमण नहीं कर रखा है। उपरोक्त सड़क पर कब्जा [illegible] ग्राम ने पुख्ता दुकाने बना रखी हैं अपीलार्थी को राज्य सरकार ने पशुओं के लिये टीन [illegible] करके दिया था। उक्त टीनसैड रेस्पोडेन्ट की एन.ओ.सी. व सहमति से बना [illegible] प्रार्थी [illegible] नियमानुसार [illegible] है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2023.07.14 17:35:42 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर
झुन्झुनू

अदालत मातहत ने प्रार्थी के जवाब के बाद बिना साक्ष्य के ही अपीलार्थी को ठोस सबूत के अभाव में अतिक्रमण मानने में कानूनी गलती की है। रेस्पोडेन्ट ने मामले की जांच किये बगैर अपीलार्थी को बिना साक्ष्य के अतिक्रमी माना, इसलिये अदालत मातहत का आदेश निरस्त होने योग्य है। अंत में अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमायी जाकर अदालत मातहत तहसीलदार उदयपुरवाटी का निर्णय दिनांक 18.7.2022 को निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को तारीख पेशी की सूचना नकल अपील के साथ भेजकर दी गई। मिसल मातहत तलब की गई। मिसल मातहत प्राप्त होने पर बहस उभय पक्ष सुनी गई।

दौराने बहस वकील अपीलार्थी ने अपील अंकित तथ्यों को दौहराते हुए बताया कि– खसरा नंबर 218 ग्राम पापड़ा तहसील उदयपुरवाटी सड़क से गर्ल्स स्कूल के सामने पूर्वी दिशा में बजरंग स्टोन क्रेसर की तरफ जाता है, जिसमें करीब 40 लोगों के घर है, बीच में पी. ड़ब्ल्यू.डी. की सीमेन्टेड सड़क है। सभी लोगों के घर सड़क से समान दूरी पर खाली जगह जिनमें बड़े ट्रक आमने–सामने गुजरते हैं। करणसिंह व्यक्तिगत द्वेशता रखता है उसने राजनीतिक विरोधियों की चुन–चुन कर शिकायत की, तहसील में अपनी ओर से वकील नियुक्त किया। पी.डब्ल्यु.डी. की रोड बाउण्ड्री चिन्हित है। अपीलार्थी ने सडक सीमाओं में कोई भी अतिक्रमण नहीं कर रखा है। उपरोक्त सड़क पर कजोड़, जोड़ाराम ने पुख्ता दुकाने बना रखी हैं अपीलार्थी को राज्य सरकार ने पशुओं के लिये टीन सैड बनाकर दिया था। उक्त टीनसैड रेस्पोडेन्ट की एन.ओ.सी. व सहमति से बना था। प्रार्थी का टीनसैड नियमानुसार बना है। अदालत मातहत ने प्रार्थी के जवाब के बाद बिना साक्ष्य के ही अपीलार्थी को ठोस सबूत के अभाव में अतिक्रमण मानने में कानूनी गलती की है। रेस्पोडेन्ट ने मामले की जांच किये बगैर अपीलार्थी को बिना साक्ष्य के अतिक्रमी माना, इसलिये अदालत मातहत का आदेश निरस्त होने योग्य है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमायी जाकर अदालत मातहत तहसीलदार उदयपुरवाटी का निर्णय दिनांक 18.7.2022 को निरस्त किया जावे ।

दौराने बहस पैरोकार सरकार ने बताया कि अपीलाट्स द्वारा राजकीय भूमि पर अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण किये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार उदयपुरवाटी द्वारा विधिक प्रक्रिया के अन्तर्गत अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया जाकर निर्णय पारित किया गया है। पारित निर्णय में कोई विधिक त्रुटि नहीं है, अतः अपील अपीलांट खारिज की जावे।

दौराने बहस अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ने बताया कि अपीलांट द्वारा राजकीय भूमि पर अनाधिकृत रूप से तारबन्दी व पक्का निर्माण कर अतिक्रमण किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार उदयपुरवाटी द्वारा विधिक प्रक्रिया के अन्तर्गत अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया जाकर निर्णय पारित किया गया है। पारित निर्णय में कोई विधिक त्रुटि नहीं है, अतः अपील अपीलांट खारिज की जावे।

Signature Not Verified

Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2023.07.14 17:35:42 IST
Reason: SelfAttested

मैंने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया। हल्का पटवारी पापड़ा कलां की रिपोर्ट के अनुसार भूमि खसरा नंबर 218 कुल रकबा 0.

अतिरिक्त जिला कलक्टर
झुन्झुनू

74 हैक्टर किस्म गैर मु0 रास्ते में से 0.03 हैक्टर गै0मु0 रास्ते पर अपीलांट राजकुमार द्वारा अनाधिकृत रूप से पक्का निर्माण व टीन शेड लगाकर अतिक्रमण किया जाना बताया गया है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार उदयपुरवाटी द्वारा अपीलांट को विधिक प्रक्रिया के अन्तर्गत नोटिस जारी कर सुना गया है। अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय एवं हाजा न्यायालय के समक्ष ऐसी कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई जिससे विवादित भूमि पर उनके द्वारा कब्जा वैध साबित होता हो। विवादित भूमि रास्ते की भूमि है। ऐसी स्थिति मे प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुये अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार उदयपुरवाटी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 18.07.2022 में कोई विधिक त्रुटि प्रतीत नहीं होने से अपील अपीलांट स्वीकार किया जाना उचित एवं न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार उदयपुरवाटी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 18.07.2022 उनवानी सरकार बनाम राजकुमार मु0नं0 52/2022 धारा 91 एल.आर.एक्ट यथावत रखा जाता है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर फैसल शुमार हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

(जगदीश प्रसाद गौड़)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
झुंझुनू

निर्णय आज दिनांक 31.03.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय के मुद्रांकित खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जगदीश प्रसाद गौड़)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
झुंझुनू

Signature Not Verified

Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2023.07.14 17:35:42 IST
Reason: SelfAttested